



वित्त मंत्रालय

सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

Posted On: 07 AUG 2017 4:39PM by PIB Delhi

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है :-

1. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए **3,000 करोड़ रुपये** (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 'भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बांड 2024'
2. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए **8,000 करोड़ रुपये** (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '6.79 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2027'
3. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए **2,000 करोड़ रुपये** (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '7.73 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2034'
4. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए **2,000 करोड़ रुपये** (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046'

भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां **11 अगस्त, 2017 (शुक्रवार)** को आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग किया जाएगा।

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां **11 अगस्त, 2017** को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रातः 10.30 बजे से लेकर प्रातः 11.30 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रातः 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।

इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा **11 अगस्त, (शुक्रवार) 2017** को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान **14 अगस्त, 2017 (सोमवार)** को किया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक 'व्हेन इश्यूड' ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 16 नवंबर, 2006 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/178 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।

वीके/आरआरएस/डीके - 3317

(Release ID: 1498983) Visitor Counter : 6

